परिशिष्ट–1

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या–7/विविध–11/2016 1817 राँची,दि0– 17/03/17

विभिन्न आवासीय योजनाओं के तहत झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के विभिन्न प्रमंडलों में निर्मित आवासीय इकाईयों/फ्लैटों/मकानों के ससमय आवंटित नहीं किये जाने तथा लम्बी अवधि तक आवास निर्माण के उपरान्त उक्त मकान खाली होने के कारण वर्षों से अनेक लोग अतिक्रमण कर अवैध रूप से निवास कर रहे हैं।

उक्त के कारण ऐसी आवासीय इकाईयों की मरम्मति नहीं हो पा रही है, साथ ही झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड को राजस्व की क्षति हो रही है।

2. झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची की दिनांक–20.06.2015 को मुख्यमंत्री, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गये निर्णय के अनुपालन में अवैध रूप से निवासित व्यक्तियों के द्वारा अतिक्रमित किये गये आवासीय इकाई/मकानों/फ्लैटों/सम्पदा का झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची के द्वारा वर्तमान मूल्य के आधार पर मूल्यांकित अद्यतन कीमत एवं आवासित सम्पदा के लिए निर्धारित की गई दण्ड राशि एकमुश्त जमा किए जाने की शर्त्त के साथ, ऐसे अवैध रूप से निवासित व्यक्ति के नाम पर, जो पिछले 10 (दस) वर्षों की न्यूनतम अवधि से निवास कर रहे हों, उक्त आवासीय इकाई/मकानों/फ्लैटों/सम्पदा का नियमितिकरण किये जाने की आवश्यकता है।

3. उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये जाते हैं :–

3.1 झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची द्वारा विभिन्न आवासीय योजनाओं के तहत भिन्न–भिन्न आय वर्गों के लिए निर्मित आवासीय इकाईयों/फ्लैटों/मकानों में अवैध रूप से निवासित अतिक्रमणकारियों के पक्ष में नियमित करने की कार्रवाई की जाएगी, जो इस अधिसूचना निर्गत किए जाने की तिथि से, ऐसे मकान में न्यूनतम दस वर्ष पूर्व से निवास कर रहे हों एवं इस हेतु इन्हें इस आशय का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार को समर्पित करना होगा।

3.2 एक परिवार के एक सदस्य के पक्ष में ही केवल एक ही मकान/फ्लैट का नियमितिकरण किया जाएगा।

3.3 एक से अधिक फ्लैटों को अतिक्रमित कर निवास करने या किराया पर अन्य को देने अथवा अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग करने वाले व्यक्ति के पक्ष में एक ही मकान/फ्लैट का आवंटन किया जाएगा।

3.4 अतिक्रमणकारियों के द्वारा कब्जा किए गये अन्य मकान/फ्लैट को झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची को प्रत्यार्पित किए जाने के उपरान्त ही एक मकान/फ्लैट के नियमितिकरण किये जाने की प्रक्रिया की जाएगी।

3.5 एक से अधिक मकान/फ्लैट पर कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों के द्वारा कंडिका– 3.4 के तहत शेष मकान/फलैट को प्रत्यार्पित नहीं किए जाने की स्थिति में आवास बोर्ड द्वारा विहित अधिनियम/नियमावली में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण से मुक्त कराये जाने की कार्रवाई की जाएगी तथा ऐसे अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध मकान/फ्लैट के नियमितिकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

17/03/17

3.6 अवैध रूप से निवासित व्यक्तियों को इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि उनकी पत्नी या पति या आश्रित बच्चे के नाम से संबंधित शहर में कोई भूखण्ड/आवासीय मकान/फ्लैट नहीं है। गलत सूचना दिए जाने पर झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के द्वारा आवंटन रद्द करते हुए उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

3.7 झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड द्वारा अद्यतन सत्यापन के बाद उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सुपात्र परिवार के सदस्य को ही उक्त मकान/फ्लैट का आवंटन किया जा सकेगा।

3.8 झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची को अधिकार होगा कि उक्त मकान/फ्लैट का आवंटन गलत पाये जाने की स्थिति में ऐसे मकान/फ्लैट को नियमानुसार किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित कर सके।

3.9 उपरोक्त शर्त्तों के पूरा किए जाने पर मकानों/फ्लैटों के आवंटित किए जाने के पूर्व झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची के द्वारा वर्तमान मूल्य के आधार पर मूल्यांकित सम्पदा की अद्यतन कीमत का 30% राशि एवं निर्धारित की गई दण्ड राशि क्रमशः कमजोर आय वर्गीय मकान/फ्लैट के लिए 25,000/–रु०, अल्प आय वर्गीय मकान/फ्लैट के लिए 35,000/–रु० एवं मध्यम आय वर्गीय मकान/फ्लैट के लिए 50,000/–रु० एक मुश्त जमा करने पर ही नियमितिकरण हेतु कार्रवाई की जाएगी, जिसे प्रसंगाधीन मकान/फ्लैट आवंटित किए जाने की तिथि से अधिकतम चार माह की अवधि के भीतर जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा मकान/फ्लैट का आवंटन रद्द समझा जाएगा।

3.10 शेष राशि 60 मासिक बराबर किश्तों में निश्चित रूप से यथानिर्धारित किश्त आवंटी को जमा करनी होगी। आलोच्य माह की 5वीं तारीख तक विलम्ब होने पर 15% ब्याज के साथ जमा करनी होगी। लगातार तीन किश्तों की चूक होने पर आवंटी का आवंटन रद्द करते हुए जमा की गई समस्त राशि झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के द्वारा जब्त कर ली जाएगी, जिसके लिए ऐसे आवंटी स्वयं कानूनी रूप से उत्तरदायी होंगे तथा उन्हें इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा।

3.11 झारखंड राज्य आवास बोर्ड के द्वारा उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में झारखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के साथ इस आशय का एकरारनामा किया जाएगा ताकि प्रसंगाधीन किश्तों, इत्यादि की राशि की वसूली झारखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के द्वारा नियमित रूप से सुनिश्चित की जा सके ।

इस हेतु झारखंड राज्य आवास बोर्ड के द्वारा झारखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड में इस प्रयोजन विशेष हेतु एक खाता खोला जाएगा ।

4. प्रबंध निदेशक, झारखंड राज्य आवास बोर्ड के द्वारा उपर्युक्त कंडिका 3 में लिए गए निर्णयों का यथानिर्धारित समय सीमा के भीतर अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा तथा विभाग को प्रतिवेदित किया जाएगा।

5. झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची के द्वारा अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 06 (छः) माह के अन्दर नियमितिकरण की कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी ।

6. इस हेतु "झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू–सम्पदा का प्रबंधन एंव निस्तार) विनियमावली, 2004" के नियम–9,10,12,20,25 एवं 28 के अन्तर्गत वर्णित आवासीय इकाईयों के आवंटन संबंधी प्रावधान को शिथिल किया जाता है।

7. यह कार्रवाई झारखंड राज्य आवास बोर्ड के द्वारा भाड़ा–सह–क्रय हेतु फ्लैट/मकान में वर्षों से अवैध रूप से निवासित लोगों की समस्याओं के निवारण तथा झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के हितों को दृष्टिगत रखते हुए विशेष परिस्थिति में किया जायेगा, जिसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जाएगा तथा इसे One Time Policy के रूप में समझा जाएगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

17.3.17

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक –7/विविध–11/2016 1817, राँची, दिनांक– 17/03/17

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची/नोडल पदाधिकारी, e Gazettee नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

17.3.17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक –7/विविध–11/2016 1817, राँची, दिनांक– 17/03/17

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं हक), झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.3.17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 7/विविध–11/2016 1817 राँची, दिनांक– 17/03/17

प्रतिलिपिः– विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड सरकार/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/निदेशक, शहरी विकास अभिकरण/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड/नगर निवेशक, नगर निवेशक संगठन (मुख्यालय)/नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन सभी स्थानीय नगर निकायों के महापौर, अध्यक्ष/सभी नगर निकाय/प्राधिकार, झारखण्ड/सभी पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.3.17

सरकार के प्रधान सचिव।

17/03/17